



2026:AHC:57673

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 2143/2026

किशन यादव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: साक्षी जयसवाल, विमल कुमार पांडे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. श्री विमल कुमार पांडेय, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से; श्री जी.पी. सिंह, विद्वान ए.जी.ए., राज्य की ओर से सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 727/2025, बी.एन.एस. 2023 की धारा 105 के अंतर्गत, थाना- गीडा, जिला- गोरखपुर में अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक को वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। उसे केवल सह-अभियुक्त द्वारा दिए गए इकबालिया कथन के आधार पर फँसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रतिवादित किया है कि विवेचना के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दौरान सी.सी.टी.वी. फुटेज के कथित परिशीलन पर पाए गए सह-अभियुक्त भी न तो मृतक की संगति में और न ही मृतक के शव को ठिकाने लगाने के कृत्य में पाए गए। उन्होंने आगे निवेदन किया कि आवेदक विवेचना के दौरान संकलित सी.सी.टी.वी. फुटेज में भी दिखाई नहीं देता। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और आवेदक को केवल सह-अभियुक्त के इकबालिया कथन के आधार पर गिरफ्तार किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि विवेचना अभी भी प्रगति पर है। सह-अभियुक्त के इकबालिया कथन में यह पाया गया है कि आवेदक ने भी मृतक पर हमला किया था और आवेदक ने अन्य सह-अभियुक्तों को मृतक को परिरुद्ध करने का निर्देश दिया था। तत्पश्चात, जब सह-अभियुक्तों ने आवेदक को सूचित किया कि मृतक बेहोश है, तो आवेदक ने उन्हें बेहोश व्यक्ति को ठिकाने लगाने का निर्देश दिया। विद्वान ए.जी.ए. ने आगे निवेदन किया है कि सह-अभियुक्त सुनील पाठक के इकबालिया कथन में आवेदक का मोबाइल नंबर प्रकट किया गया है। वह आवेदक की शराब की दुकान में विक्रेता भी है। विद्वान ए.जी.ए. ने प्रतिवादित किया है कि आवेदक की अभिरक्षा में पूछताछ के लिए आवश्यकता है और पुलिस विवेचना के दौरान उसे संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया है।

6. विवेचना के दौरान सह-अभियुक्त के कथन में आवेदक का नाम सामने आया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **संजू बंसल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर भरोसा व्यक्त किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किए थे:-

"हमने श्री प्रशांत कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के शपथपत्र का परिशीलन किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में, विवेचना अधिकारियों द्वारा इकबालिया कथन अभिलिखित नहीं किए जा रहे हैं और वर्तमान वाद एक अपवाद है जहाँ आरोप-पत्र में पुलिस द्वारा अभिलिखित अभियुक्तों के कथित इकबालिया कथन हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि संबंधित विवेचना अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा अभिलिखित इकबालिया कथन जो आरोप-पत्र का भाग हैं, उसका भाग नहीं रह सकते और उन्हें अनदेखा किया जाना चाहिए।
विचारण न्यायालय इस पर ध्यान दे।

याचिका को 15 अक्टूबर, 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।"

7. मृतक आवेदक की दुकान पर आया था। सी.सी.टी.वी. फुटेज, जिस पर पुलिस ने यह प्रतिवाद करने के प्रयोजन से भरोसा किया कि सह-अभियुक्त मृतक को मोटरसाइकिल पर बिठाकर किसी दूर स्थान पर छोड़ गया था ताकि संदेह दूर हो सके, उसकी विवेचना के दौरान विस्तार से जाँच की जानी अभी शेष है। सह-अभियुक्त का इकबालिया कथन स्पष्ट रूप से आवेदक की संलिप्तता और आवेदक द्वारा मृतक को थप्पड़ मारने के तथ्य की ओर संकेत करता है। वाद में 20 वर्षीय युवक की मृत्यु शामिल है, जिसकी मानसिक क्षमता कम बताई जाती है। अभिलेख पर दृष्टिगत कृत्य बिना किसी प्रकोपन के है और ऐसी परिस्थितियों में, मुझे विवेचना के दौरान आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करना उचित नहीं लगता है।

8. इस न्यायालय के मत में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकन आरोपी के इकबालिया कथन को आरोपपत्र के भाग के रूप में शामिल करने के संबंध में हैं। इन अवलोकनों को इस अर्थ में नहीं लिया जा सकता कि सर्वोच्च न्यायालय का आशय यह था कि विवेचना के दौरान अभिलिखित इकबालिया कथनों को पुलिस द्वारा संज्ञान में नहीं लिया जा सकता। इकबालिया कथन यद्यपि साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, तथापि बी.एस.ए. की धारा 23 के अंतर्गत ऐसे इकबालिया कथन के आधार पर की गई बरामदगी या नए तथ्य का प्रकटीकरण, और इकबालिया कथन का वह भाग जो नए तथ्य के प्रकटीकरण की ओर ले जाता है, साक्ष्य में ग्राह्य है। सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन आरोप-पत्र में इकबालिया कथन सम्मिलित करने तक सीमित थे और किसी भी प्रकार से यह नहीं माना जा सकता कि पुलिस अभियुक्त द्वारा दिए गए किसी इकबालिया कथन के आधार पर कार्यवाही नहीं कर सकती।

9. उपरोक्त के दृष्टिगत, मुझे आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित नहीं लगता।

10. आवेदन **खारिज** किया जाता है।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त में किए गए अवलोकन केवल इस अग्रिम जमानत के निस्तारण तक सीमित हैं और इन्हें वाद के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। आवेदक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपस्थित हो सकता है और नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकता है, जिस पर इस आदेश में किए गए अवलोकनों से प्रभावित हुए बिना उसके अपने गुण-दोष के आधार पर विचार एवं निस्तारण किया जाएगा।

20 मार्च, 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।